न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सांखला, आर0 ए0एस0)

अपील संख्या :– 68/11 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–
1. मातादीन पुत्र प्रभूदयाल (मृतक)
1/1. सावत्री बेवाह मातादीन
1/2. विरेन्द्र पुत्र मातादीन
1/3. करण पुत्र मातादीन
1/4. कविता पुत्री मातादीन पत्नि
जाति अहीर निवासी मनेठी तह0 मुण्डावर (अलवर)
1/5. सविता पुत्री मातादीन पत्नी राजेश जाति अहीर
निवासी जोनायचाखुर्द तहसील बहरोड (अलवर)
2. जलैसिंह पुत्र प्रभूदयाल
3. वीरमती स्त्री जलैसिंह जातियान अहीर निवासीयान
जलाबास तहसील मुण्डावर जिला अलवर

:---- अपीलांटस

बनाम

1 नन्दलाल उर्फ नन्दराम पुत्र श्योनारायण उर्फ
सोहन जाति अहीर
2 महावीर पुत्र श्योनारायण उर्फ सोहन
3 भोला पुत्र श्योनारायण उर्फ सोहन
4 ललाराम पुत्र श्योनारायण उर्फ सोहन
5 रामप्रसाद पुत्र श्योनारायण उर्फ सोहन
6 मातादीन पुत्र श्योराम
7 दयाराम पुत्र श्योराम
8 विजय पुत्र श्योराम
9 महेन्द्र पुत्र श्योराम
10 कौशल्या स्त्री विशम्भर जातियान अहीर
निवासीयान जालावास मनेठी तहसील
मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान
11 लैंड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अपील विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री उपखंड :---- रेस्पो0
अधिकारी, मुण्डावर दिनांक 21.6.2011

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- सुश्री सुषमा शर्मा
2. वकील रेस्पो0 :- श्री जनार्दन शर्मा

निर्णय दिनांक 16.02.2021

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा राजस्व वाद संख्या 327/2008 में पारित निर्णय दिनांक 21.6.2011 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53 आर0 टी0 एक्ट अंतिम तौर पर डिक्री किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में तकासमा का वाद प्रस्तुत किया था । जिसको विद्वान तहत अदालत ने कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलाधीन निर्णय द्वारा अंतिक तौर पर डिक्री किया है, जिससे व्यथित होकर वादी ने यह अपील प्रस्तुत की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट वादी का कथन है कि कुर्रेजात रिपोर्ट मौके अनुसार सही नहीं बनाई गई है । हमको वह भूमि दे दी, जिसकी पैदावार कम है । अच्छी में से अच्छी, बुरी में से बुरी अनुसार भूमि का विभाजन नहीं किया गया है । जो भूमि हमको दी गई है, उसमें आने जाने का रास्ता नहीं है । विभाजन में नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि कुर्रेजात रिपोर्ट रेकार्ड एवं मौके अनुसार सही बनाई गई है । इन्होंने कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है । विभाजन में नियम 18 से 21 की पूर्णतया पालना की गई है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । प्रस्तुत प्रकरण तकासमा का है, जिसमें हमें यह देखा जाना है कि विभाजन के नियमों के नियमक 18 से 21 की पालना की गई है अथवा नहीं ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

इस सम्बन्ध में कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया । कुर्रेजात रिपोर्ट में पटवारी हल्का और भू अभिलेख ने अंकित किया है कि वो तहसीलदार के आदेश से मौके पर कुर्रे कायमी हेतु पहुंचे । इससे सिद्ध है कि तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गया । जबकि विभाजन के नियमों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि कुर्रे कायमी हेतु स्वयं तहसीलदार मौके पर जाये । कुर्रे कायमी रिपोर्ट पर तहसीलदार ने जो हस्ताक्षर किये हैं, वह मात्र प्रतिहस्ताक्षर है । इसके अतिरिक्त जो कुर्रे कायमी रिपोर्ट बनाई गई है, वह पक्षकारान की मौजूदगी में नहीं बनाई गई है । जबकि विभाजन के नियमों में यह भी उल्लेखित है कि रिपोर्ट पक्षकारान की मौजूदगी में बनाई जावे । अपीलांट ने रास्ते सम्बन्धी एवं अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी भूमि का विभाजन नहीं करने बाबत भी कथन किया है । उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में सिद्ध है कि अपीलाधीन निर्णय में विभाजन के नियमों के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । लिहाजा इन नियमों के तहत निर्णय पारित करने हेतु हम प्रकरण को रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 21.6.2011 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो प्रकरण में उभयपक्ष को सुनकर विभाजन के नियमों के नियम 18 से 21 में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में अंतिम डिक्री पारित करें । उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत अदालत मे दिनांक 17.03 2021 को उपस्थित हो ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अशोक कुमार सांखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर